<u>न्यायालयः– अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर</u>

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, R.J.S.**
(U.I.D. No.RJ00720)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

तलाक याचिका(हि.वि.अधि.) संख्याः– 92/2025
सीआईएस नम्बरः– 91/2025

पूजा पत्नी प्रेम कुमार सोलंकी पुत्री हेतराम, निवासी 4 एम. एस. आर., तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

एवं

प्रेम कुमार सोलंकी पुत्र किशनाराम सोलंकी, निवासी 02 जी बी–ए, तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

––याचीगण

<u>तलाक याचिका अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955</u>

उपस्थितः–
01– श्री योगेश बतरा, श्री करण चुघ–विद्वान न्यायमित्र याचीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक–21.04.2026

01. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि याचीगण पूजा एवं प्रेम कुमार ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 बी के तहत् आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु यह प्रार्थना पत्र मुख्यतः इस आधार पर प्रस्तुत किया कि याचीगण का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज से 19.06.2017 को 4 एम एस आर तहसील अनूपगढ में सम्पन्न हुआ था। याचीगण के वैवाहिक संसर्ग से एक पुत्र संजय उम्र 7 वर्ष पैदा हुआ। शादी के कुछ समय बाद ही याचीगण का आपस में लड़ाई झगड़ा रहने लगा तथा आपस में मनमुटाव हो गया

एवं वैवाहिक संबंध बिगड़ गये। याचीगण 18 माह से अलग अलग रह रहे हैं और तब से आज तक दोनों पक्षों के बीच कोई वैवाहिक या शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए है। दोनों पक्षों के संबंध पूरी तरह टूट चुके हैं और याचीगण का बतौर पति–पत्नी साथ रहना या भविष्य में वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना होना कतई असंभव है। याचीगण के रिश्तेदारों एवं मौजिज व्यक्तियों की मौजूदगी में कई बार पंचायतें हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। दोनों पक्षों का बतौर पति पत्नी साथ रहना असंभव होने के कारण याचीगण आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते है। प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से अपना स्त्रीधन एवं अपने भरण पोषण की एकमुश्त राशि प्राप्त कर ली है। तलाक याचिका बिना किसी दुर्भिसंधि के पेश की जा रही है। अंत में याचिका स्वीकार की जाकर आपसी सहमति के आधार पर विवाह विच्छेद की डिक्री पारित किये जाने का निवेदन किया।

02. याचिका प्रस्तुत होने के पश्चात् याचीगण न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जिनसे समझौता वार्ता करवाई गई, लेकिन दोनों पक्षकार बावजूद समझौता वार्ता के बतौर पति–पत्नी साथ रहने को सहमत नहीं हुए हैं। याचीगण ने साक्ष्य में गवाह ए डब्ल्यू 01 पूजा, ए डब्ल्यू 2 प्रेमकुमार के बयान लेखबद्ध करवाये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श 1 शादी का कार्ड, प्रदर्श 2 चित्रप्रति प्रदर्श 2 ए आधार कार्ड पूजा, प्रदर्श 3 चित्रप्रति प्रदर्श 3 ए आधार कार्ड प्रेम कुमार पेश कर प्रदर्शित करवाये गये।

03. बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। गवाहान ए डब्ल्यू 1 पूजा एवं ए डब्ल्यू 2 प्रेम कुमार ने याचिका में उल्लेखित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए अपने अपने मुख्य परीक्षण हेतु प्रस्तुत शपथ पत्र में यह कथन किये हैं कि याचीगण का विवाह दिनांक 19.06.2017 को हिन्दू विधि एवं रीति–रिवाज के अनुसार 4 एम एस आर तहसील अनूपगढ में सम्पन्न हुआ था। याचीगण के वैवाहिक संबंधों से एक पुत्र संजय पैदा हुआ । शादी के कुछ समय बाद ही याचीगण का आपस में लड़ाई झगड़ा

रहने लगा तथा आपस में मनमुटाव होने से वैवाहिक संबंध अत्यधिक बिगड़ गये तथा दोनों करीब दो साल से अधिक समय से अलग अलग रह रहे हैं और तब से आज तक उनके बीच कोई वैवाहिक या शारीरिक संबंध स्थापित नहीं हुए है। दोनों के आपसी संबंध पूरी तरह से टूट चुके हैं जिससे भविष्य में याचीगण का बतौर पति पत्नी साथ रहना या याचीगण के वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना होना कतई असंभव है। याचीगण के रिश्तेदारों एवं मौजिज व्यक्तियों की कई बार पंचायतें भी हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला । याचीगण के मध्य आपसी मनमुटाव बहुत ज्यादा होने के कारण याचीगण का बतौर पति पत्नी एक साथ रहना मुश्किल है इसलिये याचीगण आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं। याचीया पूजा ने याची प्रेम कुमार से अपना समस्त स्त्रीधन प्राप्त कर लिया है। याचीगण द्वारा तलाक याचिका बिना किसी दुर्भिसंधि के पेश की जा रही है।

04. इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित होता है कि पक्षकारान का विवाह दिनांक 19.06.2017 को हिन्दू रीति–रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुआ था। दोनों पक्ष पिछले करीब दो साल से एक–दूसरे से अलग रह रहे हैं और आपसी सहमति से विवाह विघटित करवाने के इच्छुक हैं। दोनों पक्ष की साथ रहने में असमर्थता रही है। पक्षकारों के मध्य समझाईश के प्रयास विफल रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच किसी प्रकार की दुर्भिसंधि नहीं है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकार की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली पर उपलब्ध समस्त सामग्री के अवलोकन के पश्चात् याचीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम स्वीकार करना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– :: <u>आदेश</u> ::–

05. याचीगण पूजा (प्रथम पक्षकार पत्नी) एवं प्रेम कुमार (द्वितीय पक्षकार पति) के

द्वारा प्रस्तुत याचिका अंतर्गत धारा 13 बी हिन्दू विवाह अधिनियम आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार करते हुए प्रथम पक्षकार पूजा एवं द्वितीय पक्षकार प्रेम कुमार के बीच दिनांक 19.06.2017 को अनुष्ठापित हुए विवाह को दोनों पक्षों की आपसी सहमति के आधार पर आज दिनांक 21.04.2026 से विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित घोषित किया जाता है। नियमानुसार डिक्री पर्चा बनाया जावे।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

06. निर्णय आज दिनांक 21.04.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल)
अपर जिला न्यायाधीश संख्या–1
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.04.23 12:04:47 IST